[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2018 का विधेयक संख्यांक 17

[दि नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर आफ पर्सन्स विथ ओटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मेनटल रिटरडेशन एंड मल्टीपल डिसाविलीटिज (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,-- 1999 का 44

(क) उपधारा (1) में, "अथवा अपना पदोत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने तक के लिए इसमें से जो भी अवधि दीर्घतर हो," शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगी ।";

(ग) उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में, लिखित आदेश द्वारा, समुचित स्तर के किसी अधिकारी को ऐसी रिक्ति के भरे जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करने का निदेश दे सकेगी ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती" शब्दों के स्थान पर, "जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (उक्त अधिनियम) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अपना पदोत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने तक के लिए, इसमें से जो भी दीर्घतर हो, पद धारण करेगा । इसी प्रकार, अध्यक्ष और सदस्यों के पद त्याग करने से संबंधित धारा 5 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती है । ऐसे उपबंध अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को, उनकी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् भी, ऐसे पदों पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने तक अनिश्चित काल के लिए पद पर बने रहने के लिए अनुज्ञात करते हैं । विगत समय में यह देखा गया है कि नियत समयावधि के भीतर अध्यक्ष के पद को भरे जाने के लिए बारम्बार प्रयास करने के बावजूद भी उक्त पद पर नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल सका ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, जिससे निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सके :--

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए तीन वर्ष की निश्चित पदावधि ;

(ख) केंद्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व, अध्यक्ष या सदस्य के पद को भरे जाने के लिए कार्रवाई आरंभ करेगी ;

(ग) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में, किसी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा ऐसी रिक्ति के भरे जाने तक, अध्यक्ष के कृत्यों को पालन करने का निदेश दे सकेगी ;

(घ) अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने तक वह पद पर बना रहेगा ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 मार्च, 2018.

थावरचंद गेहलोत

उपाबंध

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 44) से उद्धरण

* * * * * *

बोर्ड के अध्यक्ष, और सदस्यों की पदावधि, और उसके अधिवेशन आदि ।

4. (1) अध्यक्ष या सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपना पदोत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने तक के लिए इसमें जो भी अवधि दीर्घतर हो, पद धारण करेगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

* * * * * *

अध्यक्ष और सदस्यों का पदत्याग ।

5. (1) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती ।

* * * * * *

MGIPMRND—4894RS(CRC)—15-3-2018.